राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./07/36467 जयपुर, दिनांकः 26/5/17

कार्यालय आदेश 19/2017

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2017 को अधिसूचना जारी कर विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्यांक एफ.6(96)कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.07.1993 जो कि राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं अथवा शैक्षणिक संस्थाओं जिनकी व्यवस्थापिका समिति सोयायटी रजिस्ट्रैशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के ऐसे वाहनों जो विद्यार्थियों को विद्यालय लाने व वापस ले जाने के कार्य में कार्यरत थे पर देय कर के परिहार से संबंधित थी, को विखण्डित कर दिया है।

इस अधिसूचना को वापस लिए जाने से शैक्षणिक संस्थाओं एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय कर के संबंध में कई भ्रातिंया उत्पन्न हो रही हैं। अतः ऐसे वाहनों में संबंध में निम्न रूप से कर आरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

1. ऐसे वाहन जो कि शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत हैं व जिनकी बैठक क्षमता 10 सीट से अधिक है, वह राजस्थान मोटर वाहन करांधान नियम, 1951 के नियम 28(g) के तहत् कर की देयता से मुक्त है।
2. वाहन जो कि शैक्षणिक अथवा संस्था; के नाम से 08.03.2017 के पूर्व से पंजीकृत है तथा जिनकी शैक्षणिक क्षमता 10 सीट तक है, उन पर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(119)परि/कर/मु./95/22सी दिनांक 14.07.2014 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर लागू कर के अनुसार एक मुश्त कर देय होगा। दिनांक 08.03.2017 से पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों पर नियमानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा।
3. जो वाहन सोसायटी अथवा किसी व्यक्ति के नाम से दिनांक 08.03.2017 से पूर्व में तथा टैक्सी और मैक्सी के रूप में पंजीकृत है उन पर अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(179)परि/कर/मु./95/22सी दिनांक 14.07.2014 के अनुसार 11 प्रतिशत की दर से एक मुश्त कर देय होगा एवं दिनांक 08.03.2017 से पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों पर नियमानुसार वाहन की कीमत का 11 प्रतिशत एक मुश्त कर देय होगा।

4. बिन्दु संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित वाहनों के लिए अधिसूचना संख्या 22 सी के द्वितीय परन्तुक के अनुसार देय एक मुश्त कर पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान की जाएगी चाहे वाहन कर मुक्त रहे हो या कर अदा किया हो।
5. उपरोक्त वर्णित वाहनो के अलावा विखण्डित अधिसूचना के तहत पूर्व में कर मुक्त किये गये अन्य सभी वाहनो पर अब उनके द्वारा धारित परमिट के अनुसार कर देय होगा।
6. दिनांक 08.03.2017 से पूर्व की विखण्डित अधिसूचना के अन्तगर्त लम्बित सभी प्रकरणो पर विभाग के प्रचलित नियमो के अनुसार कराधान अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावें।

26/5/2017

(आ.सी.यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (कर)

क्रमांकः— प.6(262)परि/कर/मु./07/36468-74 जयपुर, दिनांक: 26/5/17

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)